पत्रांक :– 3/आरोप–565/2007 का. 1703 /

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

आदित्य स्वरूप,

सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महाधिवक्ता,

झारखंड, राँची।

राँची, दिनांक 30 मार्च, 2011

विषय :– झारखंड सचिवालय सेवा के पदधारकों के नियंत्रण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के संयुक्त संवर्ग नियमावली, 1992, जिसे विभागीय अधिसूचना संख्या 6245 दिनांक 14.11.2002 से झारखंड सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है, के नियम 12 में यह प्रावधान था कि सहायक संयुक्त संवर्ग सदस्य, जिस विभाग/कार्यालय में पदस्थापित होंगे, उस विभाग के प्रशासी प्रधान/कार्यालय प्रधान के परिचालानात्मक नियंत्रण में रहेंगे।

2. बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना की अधिसूचना संख्या 496 दिनांक 20.07.1998 द्वारा उक्त नियम 12 के बाद निम्नांकित उप नियम 12 'क' सम्मिलित किया गया है :–

नियम – 12 (क) अनुशासनिक नियंत्रण – सहायक संयुक्त संवर्ग के सदस्यों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निहित प्रक्रिया के अनुसार वृहद् अथवा लघु दण्ड दिया जा सकेगा।

परंतुक : (i) संवर्ग के सदस्य जिस विभाग/कार्यालय में पदस्थापित होंगे, उस विभाग के प्रशासी प्रधान/कार्यालय प्रधान यथेष्ट कारण रहने पर उन्हें लघु दंड दे सकेंगे और अथवा निलंबित कर सकेंगे।

(ii) निलंबन करने अथवा लघु दंड देने के पूर्व संवर्ग के सदस्य को कारण दर्शाने का यथोचित अवसर दिया जायेगा।

(iii) निलंबन की अवधि में निलंबित सदस्य की सेवा उनके पदस्थापन के विभाग/कार्यालय में रहेगी और उनको हर प्रकार का देय भुगतान वहीं से होगा।

टिप्पणी : निम्नांकित दण्ड वृहत दंड समझे जायेंगे :–

(क) सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal from services)

(ख) सेवा से निष्कासन (Removal from Services)

(ग) निम्नतम पद या वेतनमान में अवनति या वेतनमान के निम्नतर क्रम पर अवनति।

(घ) अनिवार्य सेवानिवृति।

शेष दंड लघु दंड की श्रेणी में आयेंगे।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या 4619 दिनांक 02.08.2010 द्वारा गठित झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 दिनांक 03.08.2010 से प्रभावी है। उक्त नियमावली के नियम – 2 (ड॰) के नीचे नोट में अंकित है कि अनुशासनिक मामलों (केवल लघु दंड के लिए) के प्रयोजनार्थ संवर्ग के संदर्भ में *'अनुशासनिक प्राधिकार'* स्तंभ – 2 में उल्लेखित विभाग के सचिव अथवा स्तंभ – 3 में उल्लेखित कार्यालय प्रधान होंगे, जहाँ पदाधिकारी पदस्थापित हों। उल्लेखनीय है कि उक्त नियमावली की प्रथम अनुसूची के स्तंभ – 2 में राज्य के विभिन्न विभागों के नाम तथा स्तंभ – 3 में विभागों के तहत् संलग्न कार्यालयों का नाम अंकित है।

4. इस प्रकार स्पष्ट होगा कि झारखंड सचिवालय सेवा के पदधारकों को निलंबित करने एवं लघु दण्ड अधिरोपण निमित्त कार्यवाही करने की शक्तियाँ उन विभागीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को प्राप्त है, जिनमें सेवा के सदस्य पदस्थापित किये गये है।

5. अतः अनुरोध है कि उक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

30/3/2011

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 3/आरोष–565/2007 का॰ 1703 / रांची, दिनांक 30 मार्च, 2011

प्रतिलिपि :– सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/2011

सरकार के प्रधान सचिव।